संख्याःफिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)16 / 70–खण्ड–40–3183–85
हिमाचल प्रदेश सरकार,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग ।

प्रेषकः

निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

प्रेषितः

प्रधान सचिव(शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश सरकार,
शिमला–171002..

दिनांक, शिमला–171009, 19.06.2014

विषयः ***हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के वर्ष 2012–2013 का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन***

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपको हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला का वर्ष 2012–2013 का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाता है। आपसे अनुरोध है कि सचिव, स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला को इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर आगामी कार्रवाई करके पैरावार उत्तर प्रभारी, निवासी अंकेक्षण योजना, हि0प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला को प्रस्तुत करने हेतु उचित निर्देश जारी करने की कृपा करें।

भवदीय
हस्ता /

अतिरिक्त निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– यथोपरि, दिनांक शिमला–171009,
प्रतिलिपिः–

पंजीकृत 1. सचिव, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला को अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित पैरों पर की गई कार्रवाई से सम्बन्धित सटिप्पण उत्तर उप नियन्त्रक(लेखा परीक्षा), निवासी अंकेक्षण योजना, स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला को शीध्र प्रेषित करें।

2. प्रभारी, निवासी अंकेक्षण योजना, स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला, जिला कांगडा, हि0प्र0 को अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आगामी कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

हस्ता /

अतिरिक्त निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

Government of Himachal Pradesh

Local Audit Department

Block No. 38, SDA Complex,

Kasumpti, Shimla-9

Audit and Inspection Report

On

Accounts of H.P. Board of School Education

Dharamshala, Kangra.

For the Period 04/2012 to 03/2013

प्रस्तावना

1. यह प्रतिवेदन हि0 प्र0 सरकार को प्रस्तुतीकरण हेतु बोर्ड अधिनियम, 1968 की धारा–15(4) अनुसार तैयार किया गया है ।
2. हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड के अंकेक्षित लेखे बोर्ड द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार को विधान सभा पटल पर रखे जाने हेतु प्रेषित किए जाने अपेक्षित हैं ।
3. प्रतिवेदन के परिशिष्ट–ए में अवधि 9/1969 से 31.3.2012 तक अनिर्णीत चले आ रहे पैरों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है ।
4. प्रतिवेदन के भाग–II में बोर्ड की वित्तीय स्थिति, बोर्ड की प्राप्तियों के मुख्य स्त्रोत व विचाराधीन वर्ष 2012–13 की पूर्व व पोस्ट आडिट आपत्तियों का सविस्तार विवरण दिया गया है
5. इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट–बी में शिक्षा बोर्ड के लेखाओं वर्ष 2012–13 के वार्षिक लेखा पर की गई ऑडिट टिप्पणियों का विवरण दिया गया है ।

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अंकेक्षण अवधि 1.4.12 से 31.3.13

विषय सूची

क0 सं0	विवरण	पृष्ठ संख्याः
1.	प्रस्तावना	–2–
2.	प्राक्कथन	–3–
3.	कार्य पालक सार	–3–
4.	विचाराधीन वर्ष के मुख्य–2 जांच परिणामों का सक्षिप्त विवरण/ओवर व्यू	3–4
5.	बोर्ड की आय व व्यय के वित्तीय विश्लेषण	4–6
6.	गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित असमायोजित पैरों बारे	–6–
7.	बोर्ड की वित्तीय स्थिति	6–8
8.	बोर्ड की आय एवं व्यय के मुख्य साधन	–8–
9.	निवेशों का विवरण	–8–
10.	अंकेक्षण शुल्क	–12–
11.	विचाराधीन वर्ष 2012–13 की अंकेक्षण आपत्तियों का सविस्तार विवरण ।	12–33

<u>हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन</u>

अंकेक्षण अवधि 01.04.2012 से 31.03.2013

भाग–एक

(1.1) प्राक्कथनः–

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के विनियम 1968 की धारा 15, के अनुसार बोर्ड के लेखाओं का अंकेक्षण उस संस्था द्वारा किया जाएगा जिसे हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया है तथा तदानुसार हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग ने अपनी अधिसूचना संख्याः 21–3/70– दिनांक 18.03.1971 द्वारा स्कूल शिक्षा बोर्ड के अंकेक्षण करने के लिए हिमाचल प्रदेश वित्त विभाग के स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को बतौर निवासी अंकेक्षण योजना के आधार पर प्राधिकृत किया गया था।

(1.2) कार्यपालक सारः–

उपरोक्त अवधि के दौरान निम्नलिखित अधिकारियों ने इस संस्था में बतौर कार्यपालक कार्य किया हैः–

क्र0 सं0	पदनाम	नाम	अवधि
1.	अध्यक्ष	श्री बलराम शर्मा (सेवा निवृत IAS)	01.04.12 से 31.12.12
		श्री बी0 आर0 बर्मा	1.1.13 से 31.3.2013
2.	सचिव	श्री प्रभात शर्मा (एचएएस)	01.04.12 से 30.6.12
		श्री अश्वनी चौधरी,–'–	4.7.2012 से 30.1.2013
		श्रीमती राखिल काहलों–'–	30.1.2013 से 31.3.2013
3.	उप नियंत्रक (वित्त एवं लेखा)	श्री जी0डी0शर्मा	01.04.11 से 30.6.12
		श्री प्रवीण चौधरी	30.7.12 से 31.3.13

(1.3) हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला, जिला कांगड़ा के लेखों अवधि 2012–2013 के अंकेक्षण प्रतिवेदन की जांच कर ली गई है। अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क0 सं0	गम्भीर आपत्तियों का सार	₹ लाखों में	भाग एवं पृष्ठ संख्याः
1.	रोकड़ बही व बैंक खातों में बोर्ड गठन से लेकर आज तक अन्तर	87.66	भाग–II पैरा 3(i)
2.	छात्रों से परीक्षा शुल्क राशि की बसूली शेष	3.60	पैरा –13
3.	हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग से पुस्तकों के क्रय हेतु प्राप्त राशि का समायोजन न करना ।	840.00	पैरा –14
4.	वर्ष के दौरान प्राप्त राशियों में से बैंक में राशि कम जमा करना।	160.10	पैरा–15
5.	वर्ष के दौरान एस0ओ0एस0 वितरण पत्रिका सेल से प्राप्त आय को बोर्ड की आय में सम्मिलित न करना।	17.18	पैरा–16
6.	पूर्व अंकेक्षण के दौरान विभिन्न बिलों से की गई कटौतियाँ।	3.11	पैरा –17
7.	बैंक में डेविट राशियों का विवरण स्पष्ट न करना	0.30	पैरा –18
8.	डिपुओं की आय की राशि बैंक में कम जमा बारे	6.39	पैरा–20(3)
9.	सरकार द्वारा सचिवालय वेतन तथा अन्य भत्ता का बोर्ड कर्मचारियों को अनियमित भुगतान के सन्दर्भ में।	–	पैरा–22
10.	बोर्ड से सेवा निवृत कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति सुविधा का अनियमित भुगतान।	0.58	पैरा –24
11.	स्टॉक रजिस्टर में कम मात्रा में पाई गई पुस्तकों की कीमत की बसूली न करना	0.17	पैरा–26(ii)
12.	वास्तविक सत्यापन समिति द्वारा स्टॉक रजिस्टर में कम पाई गई पुस्तकों के सन्दर्भ में	0.32	पैरा –26(iii)
13.	अग्रिम राशि का समायोजन न करवाने बारे	2298.64	पैरा–27
14.	सामान्य निधि से उपदान निधि को स्थानान्तरित राशि बारे	37.00	पैरा–29

(1.4) वित्तीय विश्लेषणः– बोर्ड की वर्ष 2012–13 की आय व व्यय पर तुलनात्मक वित्तीय विशलेषण निम्नलिखित है ।

(1) प्राप्तियांः–

(i) बोर्ड ने वर्ष 2012–13 के दौरान ₹166674907/– की राशि परीक्षा शुल्क के रूप में प्राप्त की जो कि कुल आय का 33 प्रतिशत है ।

(ii) वर्ष 2012–13 के दौरान बोर्ड ने पुस्तक विक्रय से ₹274254858/– की राशि प्राप्त की जो कुल आय/प्राप्तियों का लगभग 54 प्रतिशत है ।

(2) व्यय :–

(i) वेतन व भत्ता की अदायगीः–

बोर्ड द्वारा वर्ष 2012–13 के दौरान कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन व भत्तों पर कुल ₹196439295/– खर्च किए हैं जो व्यय व प्राप्तियों का क्रमशः 43 प्रतिशत व 38 प्रतिशत है जबकि वर्ष 2011–12 के दौरान इस मद पर कुल खर्च ₹170728734/– किया गया था जो कुल व्यय व आय का क्रमशः 42 प्रतिशत व 36 प्रतिशत था।

(ii) चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्ययः–

वर्ष 2011–12 में बोर्ड ने उक्त शीर्ष के अन्तर्गत ₹1210121/– व्यय किए थे जबकि इस वर्ष ₹1674235/– चिकित्सा प्रतिपूर्ति पर व्यय किए गए हैं।

(iii) यात्रा भत्ता पर व्यय :–

वर्ष 2011–12 के दौरान यात्रा भत्ता बिलों की अदायगी पर बोर्ड ने ₹1215847/– व्यय किए थे जबकि वर्ष 2012–13 में यह खर्चा ₹1883156/– हुआ है, परिणामस्वरूप 2012–13 में उपरोक्त मद पर ₹667309/–अधिक व्यय हुए हैं ।

(iv) पैंशन निधि :– वर्ष 2011–12 व 2012–13 के दौरान पैंशन निधि में प्राप्त राशियों व व्यय का तुलनात्मक विवरण निम्न है:–

	वर्ष 2011–12	वर्ष 2012–13

प्राप्तियां	161348674	50907605
व्यय	36562293	53288424

(v) पुस्तकों का मुद्रणः–

वर्ष 2012–13 के दौरान बोर्ड ने कागज की खरीद पर ₹60184586/– व पुस्तकों के मुद्रण पर ₹19945979/– व्यय किए इस प्रकार कागज खरीद व पुस्तक मुद्रण पर कुल ₹80130565/– खर्च किए गए जबकि पुस्तकों की विक्री से बोर्ड ने ₹274254858/– प्राप्त किए। यद्यपि कुछ पुस्तकें व कागज स्टाक में शेष रहने के साथ–2 कुछ संस्थापन खर्च/overhead charges भी व्यय किए गए होगें तथा पिछले वर्ष का शेष कागज व पुस्तकें इस वर्ष क्रमशः प्रयोग व विक्रय भी की गई होगी ।

(vi) परीक्षा संचालन शीर्ष :–

विचाराधीन वर्ष 2012–13 के दौरान बोर्ड ने परीक्षा संचालन पर कुल ₹287138963/– खर्च किए जबकि परीक्षा शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्त आय ₹189258030/– है। इस प्रकार बोर्ड को इस मद के अन्तर्गत भी ₹97880933/– की क्षति उठानी पड़ी है ।

(vii) गोपनीय निधिः–

वर्ष 2011–12 के दौरान गोपनीय निधि को ₹1300000/– सामान्य निधि से स्थानान्तरित किए गए थे जबकि इस वर्ष ₹10000000/– उक्त निधि को स्थानान्तरित किए गए हैं ।

(viii) कार्यालय/प्रशासनिक व्ययः–

बोर्ड द्वारा वर्ष 2011–12 में कार्यालय व्यय पर ₹12240061/– खर्च किए जबकि इस वर्ष 2012–13 में ₹12316910/– व्यय किए गए ।

(i) बिजली पानी का खर्चाः–

वर्ष 2011–12 में बिजली पानी पर किया गया खर्चा ₹1202515/– था जबकि वर्ष 2012–13 में यह खर्चा बढ़कर ₹1327744/–हुआ है, परिणामस्वरूप वर्ष 2012–13 में उपरोक्त मद पर ₹125229/–का अधिक व्यय हुए।

(ii) हाट एण्ड कोल्ड पर व्ययः–

इस मद पर वर्ष 2011–12 के दौरान व्यय ₹5883/– था जबकि वर्ष 2012–13 के दौरान ₹310/– का व्यय किया गया है ।

(iii) डाक सेवा टिकट पर व्ययः–

बोर्ड ने इस मद पर वर्ष 2011–12 में ₹5364950/– व्यय किए थे जबकि इस वर्ष 2012–13 में ₹5360538/– खर्च किए गए

(1.5) गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन :–

पूर्ववर्ति वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के बहुत से पैरे जिनका सक्षिप्त विवरण परिशिष्ट "ए" में दिया गया है। वांछित अनुपालना न करने के कारण अभी तक शेष है तथा इनके निपटारे हेतु कार्यवाही न करने की वजह से वर्ष दर वर्ष अनिर्णीत पैरों में बढ़ौतरी हो रही है। अतः बोर्ड के प्राधिकारियों से पुनः अनुरोध है कि गत अनेक वर्षों से अनिर्णीत चले आ रहे अनेक पैरों के शीघ्र निपटारे हेतू वांछित कार्यवाही करके अनुपालना से उप–नियंत्रक ले0 प0 तथा इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

भाग–2

2. वर्तमान अंकेक्षण :–

हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड में निवासी अंकेक्षण योजना अधिसूचना संख्याः 21–3/70–शिक्षा–11 दिनांक 18.3.1971 के अनुसार आरम्भ की गई थी। अवधि 1.04.2012 से 27.2.2013 तक श्री बलदेव राज शर्मा, व दिनांक 28.2.13 से 31.3.2013 तक श्री कशमीर सिंह वर्मा, उप नियंत्रक (ले0प0) इस योजना के प्रभारी रहे तथा इस काल में अन्य स्टॉफ भी कार्यरत रहा है।

"Audit report has been prepared on the basis of information furnished and made available by the Controlling Officer of the Institution.

Local Audit Department disclaims any responsibility for any mis-information or non submission of information on the part of auditee. Responsibility of audit is confined to the months selected for detailed check for post audit."

3. वित्तीय स्थितिः–

(i) रोकड़ वही में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की वर्ष 2012–13 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :–

	2011–12 ₹	**2012–13** ₹
1. गत शेष	271991428.19	336961428.19
2. प्राप्तियां	473244037.00	512476943.80
3. योग	**745235465.19**	**849438371.99**
4. भुगतान	408274037.00	457544964.00
5. अन्तिम शेष	336961428.19	391893407.99

31.3.2013 को अन्तिम बैंक शेष का विवरणः–

1.	विभिन्न बैंक बचत खातों में जमा राशि अंकेक्षण प्रतिवेदन परिशिष्ट "बी"	₹108980219.54
2.	विभिन्न बैंकों में निवेशित राशि अंकेक्षण प्रतिवेदन परिशिष्ट "सी"	₹301700000.00
	योगः–	**₹410680219.54**

रोकड़ वही तथा बैंक शेष के आंकड़ों में ₹18786811.55 का अन्तर परिलक्षित हुआ है जिसमें से ₹10020071/– का अन्तर निम्न कारणों से है ।

1.	विभिन्न प्राप्त चैक/बैंक ड्राफ्ट जिनका क्रेडिट बैंक द्वारा दिनांक 31.3.2013 तक नहीं दिया गया ।	₹4456453.00
2.	एस.बी.आई. बैंक खाता संख्याः 10551097330 से दिनांक 1.1.2013 से 31.3.2013 तक जारी चैकों की राशि जो दिनांक 31.3.2013 तक बैंक खाता से भुनाए नहीं गए हैं ।	(–)1300190.00

3.	एस.बी.आई. बैंक खाता संख्याः 10551097432 से दिनांक 1.1.2013 से 31.3.2013 तक जारी चैकों की राशि जो दिनांक 31.3.2013 तक बैंक खाता से भुनाए नहीं गए हैं ।	(–) 8176334.00
4.	एस.बी.आई बैंक खाता संख्याः 10551097432 से दिनांक 25.3.2013 को ₹50 लाख की एफ0डी0आर0 बनवाई गई परन्तु यह राशि उक्त बैंक खाता से दिनांक 31.3.2013 तक डेविट नहीं की गई थी जबकि उक्त राशि की एफ0डी0आर0 दिनांक 26.3.2013 को ही बना दी गई थी। उक्त राशि बैंक व एफ0डी0आर0 के अन्तिम शेष में सम्मिलित रही है।	(–)5000000.00
	योगः–	**(–) 10020071.00**

इस प्रकार ₹10020071/– का समायोजन करने के उपरान्त भी बैंक के अन्तिम शेष में तथा कैश बुक के अन्तिम शेष में ₹8766740.55 का अन्तर शेष रहता है । अतः इसके मिलान हेतू बोर्ड द्वारा बैंक समाधान विवरण तैयार नहीं किया गया है । यह बहुत ही आपत्तिजनक है। रोकड़ बही के बैंक से समाधान हेतु उचित पग उठाये जाऐं ।

(ii) हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के लेखाओं वर्ष 2012–13 का वार्षिक लेखा ऑडिट टिप्पणियों सहित इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ बतौर परिशिष्ट "बी" के रूप में संलग्न है ।

(iii) हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड अधिनियम 1968 की धारा 14(सी) में यह प्रावधान है कि वार्षिक शुद्व बचत की राशि प्रत्येक वर्ष के अन्त में स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा हि0 प्र0 सरकार के पास शिक्षा के सुधार हेतू जमा करवाई जानी अपेक्षित है। वर्ष 2012–13 के अन्त शेष ₹410680219.54 में से कोई राशि हि0 प्र0 सरकार को उपरोक्त उदेश्य हेतु नहीं भेजी गई है तथा न ही इसका वर्ष 2012–2013 के बजट में कोई प्रावधान रखा गया है जोकि निश्चित तौर पर अधिनियम की उल्लघंना है जबकि इस प्रकार की आपत्ति गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी उठाई गई थी इसके बावजूद स्थिति यथावत जारी है । अतः बोर्ड प्रशासन को परामर्श दिया जाता है कि अधिनियम की अनुपालना सुनिश्चित करें ।

(iv) आय व व्यय के प्रमुख साधन :–

बोर्ड की आय के मुख्य स्त्रोत परीक्षार्थियों से परीक्षा शुल्क की बसूली तथा पुस्तकों का विक्रय तथा व्यय में वेतन भत्तों का भुगतान, परीक्षा संचालन तथा पुस्तकों का मुद्रण इत्यादि मदें शामिल हैं।

(v) निवेशः–

बोर्ड द्वारा दिनांक 31.3.2013 को सामान्य खाते में से परिशिष्ट "सी" के अनुसार राशि ₹301700000/– सावधि जमा खाते में निवेश की गई थी।

4. सामान्य भविष्य निधि की वर्ष 2012–2013 की वित्तीय स्थिति उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार निम्न प्रकार से हैः–

1. गत शेष	₹161536050.24
2. प्राप्तियां	₹70376262.00
योगः–	**₹231912312.24**
3. भुगतान	₹71422903.00
अन्तिम शेष	₹160489409.24
S/B A/c. No. SBI D/sala का अन्तिम शेष	₹8140283.24
31.3.2013 को भविष्य निधि में निवेशित राशि (परिशिष्ट'डी')	**₹152349126**
अन्तिम शेष	**₹160489409.24**

(i) सामान्य भविष्य निधि में से विभिन्न बैंकों में सावधि जमा में निवेश की गई राशियों का विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "डी" में दिया गया है।

(ii) उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार वर्ष 2012–2013 के अन्त में सामान्य भविष्य निधि खातों के अनुसार कुल देनदारी की राशि ₹201262313 थी जोकि 31.3.2013 को बैंकों में पड़ी उपरोक्त कुल राशि ₹160489409.24 से ₹40772904 अधिक है । अतः इस निधि में बढ़ रही देनदारी को संतुलित करने की आवश्यकता है ।

5. गैर अंशदायी भविष्य निधिः–

गैर अंशदायी भविष्य निधि की वित्तीय स्थिति उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार निम्नलिखित हैः–

1. गत शेष	₹360544.99
2. प्राप्तियां	₹5413.01
3. कुलः–	**₹365958.00**
4. भुगतान	––
5. अन्तिम शेष	**₹365958.00**

उक्त राशि दिनांक 17.5.2012 को अंशदायी भविष्य निधि को स्थानान्तरित करने उपरान्त इस खाता को बन्द कर दिया गया है ।

6. पैंशन निधिः–

(i) पैंशन निधि की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है :–

1. गत शेष	₹413454187.00
2. प्राप्तियांः–	₹50907605.00
कुल योग	**₹464361792.00**
3. भुगतान	₹53288424.00
4. अन्तिम शेष	₹411073368.00
5. दिनांक 31.3.13 अन्तिम शेष का विवरण	
6. 1.) बैंक बचत खाता संख्याः 30091128443 में जमा राशि	₹3965311.00
2.) 31.3.2013 को निवेशित राशियॉ	**₹407109057.00**
योगः–	**₹411074368.00**

बैंक में ₹1000/–अधिक जमा पाए गए हैं जो दिनांक 12.3.2012 को जमा करवाए गए थे जिसका विवरण पिछले अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी किया गया है ।

(ii) पैंशन निधि में से दिनांक 31.3.13 को निवेश की गई राशियों का विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट **"ई"** पर दिया गया है।

7. उपदान निधिः– उपरोक्त निधि की वर्ष 2012–13 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से हैः–

	वर्ष 2012–13
1. गत शेष	11001169
2. प्राप्तियां	14276457
3 कुल योग	25277626
4. भुगतान	21887608
5. अन्तिम शेष	3390018

(i) एस0बी0आई0 खाता संख्याः 31730981901 का दिनांक 31.03.2013 को अन्तिम शेष ₹3390018 था।

8. (1) अध्यापक कल्याण निधिः–

उपरोक्त निधि की वर्ष 2012–2013 की वित्तीय स्थिति निम्नलिखित है।

1.	गत शेष	9158225.63
2.	प्राप्तियां	1234118.00
	योग	**₹10392343.63**
3.	व्यय	40252.00
4.	अन्तिम शेष (रोकड़ वही)	10352091.63

दिनांक 31.3.2013 को बैंक व निवेशों की राशि का विवरणः–

FDR	**8114062.00**
S/B Bank A/c का अन्तिम शेष	2243871.63
योगः–	**10357933.63**

₹5842 का अन्तर परिलक्षित हुआ है जो उक्त राशि का चैक नं0 723987 दिनांक 29.03.2013 के कारण है जो दिनांक 31.3.2013 तक बैंक से डेबिट नहीं हुआ था।

(ii) अध्यापक कल्याण निधि से किए गए निवेशों का विवरणः–

क्र0सं0	एफ0डी0आर0 नं0	निवेश राशि	परिपक्वता तिथि	परिपक्वता राशि	बैंक का नाम
1.	32324204319	2000000	9.5.13	2186167	एस.बी.आई.धर्मशाला बोर्ड
2.	65130207481	2846681	25.6.13	3295363	एस0बी0पी0 धर्मशाला
3.	65130207367	32176	25.6.14	37248	एसबीपी धर्मशाला
4.	31348000595	9276	19.8.13	11406	एसबीआई धर्मशाला बोर्ड
5.	32714147855	1095758	16.6.13	1131077	–यथोपरि–
6.	31348000595	**2000000**	**20.8.13**	2481094	–यथोपरि–
7.	32712759439	**130171**	**14.6.13**	134367	–यथोपरि–
	योगः–	**8114062**			

(iii) इस निधि से इस वर्ष केवल ₹40252/– ही व्यय किए गए हैं जबकि दिनांक 31.3.2013 को ₹10352091.63 अनुपयुक्त शेष हैं। इस निधि को अध्यापक एवम बोर्ड कल्याणार्थ व्यय न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए।

9. गोपनीय निधिः–

सचिव द्वारा दिये गये उपयोगिता प्रमाण पत्र के अनुसार दिनांक 31.3.13 को ₹388422.60 अनुपयुक्त शेष थे, जिन्हें वार्षिक लेखा में अन्तिम शेष के रूप में सम्मिलित किया गया है ।

10. अनुदानः–

अंकेक्षण में प्रस्तुत विवरणानुसार बोर्ड कार्यालय द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि में कोई भी अनुदान प्राप्त नहीं किया है।

11. ऋणः–

वर्ष 2012–13 के दौरान स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा कोई ऋण नहीं लिया गया है और न ही कोई ऋण लौटाया जाना शेष है ।

12. अंकेक्षण शुल्कः–

निवासी अंकेक्षण योजना, हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का अंकेक्षण शुल्क वर्ष 2012–2013 हेतू ₹4863885/–आंका गया।

उक्त शुल्क की राशि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा स्टेट बैंक आफ इण्डिया धर्मशाला के रेखांकित चैक/ड्रॉफ्ट संख्याः क्रमशः 68807 दिनांक 26.11.13 के द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को प्रेषित कर दी है।

13. परीक्षा शुल्क ₹360809/— लाख की बसूली शेषः:—

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार वर्ष 2012—2013 में 1.4.2012 से 31.3.2013 तक छात्रों से ₹360809/— की राशि परीक्षा शुल्क के रूप में देय थी जबकि 31.3. 2013 तक कुल कितनी राशि छात्रों से बसूली हेतु लम्बित थी की सूचना अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाई गई। परिणामस्वरूप 31.3.2013 तक कुल कितनी राशि, वसूली हेतू लम्बित है की पुष्टि नहीं हो सकी। यह प्रकरण शिक्षा बोर्ड के उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है तथा बोर्ड प्रशासन से अनुरोध है कि इन राशियों की वसूली हेतू पग उठाये जाऐं।

14. शिक्षा विभाग को उधार बेची गई पुस्तकों के सम्बन्ध में :—

स्कूल शिक्षा बोर्ड की विक्रय शाखा द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार 31.3. 2013 तक शिक्षा विभाग से निम्न विवरणानुसार ₹84000000/—की राशि अग्रिम प्राप्त हुई है। इसका समायोजन भविष्य में विक्री होने वाली पुस्तकों के विरूद्व किया जाना सुनिश्चित किया जाऐ।

		उच्चतर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय	प्रारम्भिक/प्राथमिक शिक्षा निदेशालय
1.	गत शेष [बसूली योग्य राशि (+)/प्राप्त अग्रिम राशि (—)]	शून्य	(—) 50544700.00
2.	वर्ष 2012—13 में उधार विक्री	97396752.00	74041239.00
3.	कुल (2—1)	97396752.00	23496539.00
4.	छूट (Discount)	—	5054470.00
5.	वर्ष 2012—13 में शुद्व बसूली योग्य राशि (3—4)	97396752.00	18442069.00
6.	**वर्ष 2012—2013 में बसूल की गई राशि।**	97396752.00	102442069.00
7.	**अन्तिम शेष** [बसूली योग्य राशि (+)/प्राप्त अग्रिम राशि (—)]	—शून्य—	(—)84000000.00

15. वर्ष 2012—13 में आय रजिस्टर एवं बैंक विवरणी में जमा राशि के मिलान करने पर बैंक में ₹16010849/—कम जमा बारे :—

वर्ष 2012–13 में बोर्ड की आय शाखा द्वारा अर्जित की गई विभिन्न बैंक चैकों द्वारा प्राप्त राशियां जो कि बैंक में जमा करवाई दर्शाई गई, के विरूद्व बैंक में कम राशियां क्रेडिट की गई जिसका विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट .....एफ....... व परिशिष्ट ...जी.... पर दिया गया है, परिणामस्वरूप ₹16010849/– (1277526/– व 14733323/–) बैंक में कम जमा हुई जिसकी जांच करके कम जमा राशि की वसूली हेतु प्रकरण सम्बन्धित बैंक से उठाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

16. वर्ष के दौरान ₹1718340/– के विवरण पत्रिका (एस0ओ0एस0) सेल से प्राप्त राशि को बोर्ड की प्राप्तियों में सम्मिलित न करना :–

बोर्ड द्वारा एस0 ओ0 एस0 स्टडी सैन्टर स्थापित किए गए हैं जिनमें इस वर्ष ₹1718340/– के एस0 ओ0 एस0 विवरण पत्रिका विक्रय किए गए। इस राशि को बोर्ड को भेजने की वजाये इन केन्द्रों में ही रखा गया तथा केन्द्र प्रभारियों द्वारा इसे अध्यापकों के भुगतान व अन्य मदों हेतू व्यय भी कर लिया गया है इस प्रकार ₹1718340/– की राशि बोर्ड की न तो आय में सम्मिलित की गई है न ही इसे व्यय में लिया गया है। जिससे बोर्ड की आय व व्यय का सही चित्रण वार्षिक लेखा में परिलक्षित नहीं होता है यह एक गम्भीर अनियमितता है। वर्ष 2011–12 में विक्रय किए गए विवरण पत्रिका की राशि ₹83850/– वर्ष 2012–13 में बोर्ड के लेखाओं में लेखा परीक्षा द्वारा आपत्ति उठाने उपरान्त ली गई इसी प्रकार वर्ष 2012–13 में विक्रय किए गए एस0 ओ0 एस0 विवरण पत्रिका की राशि ₹1718340/–वर्ष 2012–13 में बोर्ड के लेखाओं में आय व व्यय स्वरूप न लेने का कारण स्पष्ट किया जाए।

अतः बोर्ड प्रशासन से अनुरोध है कि एस0 ओ0 एस0 स्टडी सैन्टर द्वारा ₹1718340/– के प्रौस्पैक्टस विक्रय करने की राशि को बोर्ड मुख्यालय को क्यों नहीं भेजा गया तथा अपने स्तर पर ही उतनी ही राशि किस सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से व्यय कर ली गई तथा बोर्ड में सथापित एस0ओ0एस0 शाखा द्वारा इसे क्यों नहीं सम्बन्धित केन्द्र प्रभारियों से समय पर उठाया, की जांच विभागीय स्तर पर की जाए तथा उक्त राशि को अब बोर्ड के अभिलेखों में आय व व्यय स्वरूप दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि रोकड़ बही शेष व बैंक शेष में चल रहे भारी अन्तर का भी समाधान हो सके।

17. पूर्व अंकेक्षण के दौरान विभिन्न बिलों से ₹311157/– कटौतियां (Retrenchment):–

अंकेक्षण अवधि के दौरान पूर्व अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किए गए बिलों की जांच के दौरान अधिक, अनियमित एवं गलत भुगतान किए जाने के फलस्वरूप ₹311157/– की कटौतियां की गई हैं जिसका विवरण इस सम्बन्ध में तैयार किए गए रजिस्टर में रखा गया है। अतः इससे प्रतीत होता है कि बोर्ड कार्यालय द्वारा बिलों की जाँच सही एवं नियमित तौर पर नहीं की जा रही है। बोर्ड प्रशासन से अनुरोध है कि आन्तरिक जाँच को सुदृढ़ किया जाए ताकि ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृति न हो।

18. बैंक में डेविट राशियों का विवरण स्पष्ट न करनाः–

बैंक विवरणियों के अवलोकन पर पाया गया कि निम्नलिखित राशियाँ बैंक द्वारा बोर्ड के खातों में डेविट की गई हैं लेकिन इन्हें डेविट करने का कोई औचित्य स्पष्ट नहीं किया गया जिसके अभाव में इन राशियों के सही डेबिट होने की पुष्टि नहीं की जा सकी जिसकी जांच करके यह प्रकरण सम्बन्धित बैंक से उठाये जाऐं तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	नाम बैंक	बैंक खाता संख्याः	डेविट राशि
1.	पंजाब नैशनल बैंक आन लाईन	3373000101035945	3569.00
2.	स्टेट बैंक पटियाला आन लाईन	65057059670	2000.00
3.	एस0बी0आई0	10551097410	407.00
4.	एच.जी.बी.	88130100001882	206.00
5.	ओ0बी.0सी.	10292010001440	2500.00
6.	बी0ओ0आई0	793110100003244	55.00
7.	विजय बैंक	777601011000455	102.00
8.	बी0ओ0बी0	10520100000947	55.00
9.	जे0एण्ड के0 बैंक	0354040100000232	25.00
10.	पी0एन0बी0	0136000100168255	21010.00
		कुल योगः–	**29929.00**

19. बोर्ड द्वारा प्राप्त आय का विवरण न देने बारे :–

ऑडिट अधियाचना संख्याः 213 दिनांक 9.12.2013 द्वारा निम्नलिखित आय स्त्रोतों की कितनी–2 राशि दिनांक 31.3.2013 तक वसूली हेतू लम्बित थी, बारे सूचना मांगी गई थी, परन्तु लेखा परीक्षा को आज दिन तक यह सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसके अतिरिक्त बोर्ड की अन्य सम्पति जो कि खाली पड़ी है की सूचना भी अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई। यह बहुत ही आपत्तिजनक है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा बोर्ड प्रशासन से अनुरोध है कि उपरोक्त से सम्बन्धित अभिलेख निम्न प्रपत्र पर आवश्यक जांच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाऐं।

1 परीक्षा केन्द्र retention Fee/continuation Fee of old centre

परीक्षा केन्द्र का नाम दिनांक 31.3.2013 तक प्राप्त योग्य राशि

2 खाली पड़े आवास के सम्बन्ध में

आवासीय टाईप	जिस अवधि से खाली हैं ।	दिशा लोकेशन

3 अन्य कोई सम्पति जो खाली हो

सम्पति का नाम	दिशा लोकेशन	अवधि जब से खाली है ।	निर्माण प्राप्त करने की तिथि	निर्माण/प्राप्त करने का खर्चा

अतः अनुरोध है कि वांछित सूचना अब उपलब्ध करवाई जाए।

20. सभी पुस्तक विक्रय केन्द्रों के कैश मैमों की राशि का बैंक विवरणी से मिलान करने बारेः–

बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न पुस्तक विक्रय केन्द्रों के वित्तीय वर्ष 2012–13 के कैश मैमों की जांच के दौरान निम्नलिखित त्रुटियां पाई गई जिनका शीघ्र समाधान किया जाए।

1 बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न पुस्तक विक्रय केन्द्रों के वित्तीय वर्ष 2012–13 के कैश मैमों की जांच, जैसे प्रत्येक कैश मैमों में दर्शाई गई विभिन्न पुस्तकों के रेट व कुल योग करने उपरान्त अंकेक्षण द्वारा निम्न राशि जो प्रत्येक पुस्तक विक्रय केन्द्र के सामने दर्शाई गई है, बैंक में कम जमा पाई गई विवरण इस प्रकार से है।

क0	पुस्तक विकय केन्द्र का	कैश मैमो व	कैश मैमों	अंकेक्षण द्वारा	अन्तर (राशि

सं0	नाम	दिनांक	का योग	किया गया कुल योग	जो बैंक में कम जमा की गई
1.	पु0वि0केन्द्र चौंतड़ा	14008, 9.4.12	142776	142992	216/–
2.	पु0 वि0 केन्द्र हमीरपुर	15472, 12.4.12	1170	1179	9/–
3.	पु0वि0केन्द्र सोलन	16734, 5.4.12	19602	19638	36/–
4.	पु0वि0केन्द्र घुमारवीं	13512–13517, 11.4.12	114807	115003	196/–
5.	पु0वि0केन्द्र नाहन	17702, 22.5.12	78	86	8/–
6.	–यथोपरि–	17626, 22.5.12	1340	1350	10/–
7.	पु0वि0केन्द्र उना	18885, 2.5.12	39960	40230	270/–
8.	पु0वि0केन्द्र सोलन	0018084, 2.7.12	3996	4266	270/–
9.	–यथोपरि–	18086, 2.7.12	10440	10710	270/–
10.	–यथोपरि–	18130, 30.7.12	2556	2579	23/–
11.	पु0वि0केन्द्र धर्मशाला	25078, 28.3.13	12136	12317	181/–
12.	–यथोपरि–	25090, 30.3.13	7177	7245	68/–
13.	–यथोपरि–	21282, 21.3.13	36950	36995	45/–
14.	–यथोपरि–	25013, 26.3.13	51318	51363	45/–
15.	पु0वि0केन्द्र कुल्लू	000321, 4.3.13	875	8750	7875/–
16.	पु0वि0केन्द्र चम्बा	12600, 3.5.12	7838	8006	168/–
				कुलयोगः–	**₹9690/–**

2. पुस्तक विक्रय केन्द्रों के कैश मैमों की क्रमवार जांच करने पर कुछ कैश मैमों न तो इन कैश मैमो में पाए गए हैं व न ही इन कैश मैमों को रदद किया गया दर्शाया गया है। अतः इस बारे उचित जांच उपरान्त लेखा परीक्षा शाखा को अवगत करवाया जाए। उपरोक्त कैश मैमों का विवरण डिपोवार निम्न प्रकार से है।

क0सं0	डिपू का नाम	कैश मैमों जो न ही कैश मैमों में पाए गए व न ही रदद किए गए दर्शाये गए है।
1.	पु0वि0केन्द्र बिलासपुर	18437, 18490, 19862, 19758–59
2.	पु0वि0केन्द्र धर्मशाला	25010
3.	पु0वि0केन्द्र हमीरपुर	15600, 15629–30
4.	पु0वि0केन्द्र कुल्लू	0000265
5.	पु0वि0केन्द्र पपरोला	17814–16, 17820–24, 25113–14, 29228
6.	पु0वि0केन्द्र सोलन	18060, 18083, 18085, 18101, 18142, 18145–147
7.	पु0वि0केन्द्र उना	18880
8.	पु0वि0केन्द्र राजगढ़	0000686, 0000690, 0000702

3. पुस्तक विक्रय केन्द्र द्वारा प्रेषित बैंक विवरणियां जिसे प्रत्येक माह सम्बन्धित बैंक जिस बैंक में डिपू का खाता है द्वारा डिपू को भेजा जाता है तथा जिसका इन्द्राज/रख–रखाव बैंक विवरणी रजिस्टर में किया जाता है, का मिलान कैश मैमों रजिस्टर जिसका माहवार रख–रखाव किया गया है के साथ करने पर कुछ पुस्तक विक्रय केन्द्रों में बैंक में कम राशि जमा पाई गई प्रतीत होती है जिसका डिपूवार व माहवार विवरण निम्न प्रकार से है।

क्र0 सं0	डिपू का नाम	कैश मैमों रजिस्टर अनुसार राशि	बैंक में जमा राशि	माह जिसमें कम राशि जमा की गई	राशि जो बैंक में कम जमा की गई
1.	पु0वि0केन्द्र बिलासपुर	800111	798390	अप्रैल, 2012	1721/–
2.	–यथोपरि–	148338	148194	मई, 2012	144/–
3.	–यथोपरि–	71113	71077	अगस्त, 2012	36/–
4.	पु0वि0केन्द्र जसूर	595328	595193	मार्च, 2013	135/–
5.	पु0वि0केन्द्र नाहन	155949	155849	फरवरी, 2013	100/–
6.	पु0वि0केन्द्र रिकांगपिओ	2797171	2163999	अप्रैल, 2012	633172/–
7.	पु0वि0केन्द्र राजगढ़	5787	1647	अक्तूबर, 2012	4140/–
				कुल योगः–	**₹639448/–**

अतः कम जमा की गई राशि ₹639448/– के मिलान हेतु सम्बन्धित शाखा को निर्देश दिए जाएं।

21. दिनांक 1.5.2002 से वढ़े हुए सचिवालय भत्ता के भुगतान बारे :–

विभिन्न बोर्ड कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवा पंजिकाओं की जांच करने पर पाया गया कि बोर्ड अधिसूचना क्रमांक एच0बी0 (1) संस्थापन सा0फा0 –12– खण्ड–14–2002 –4941 –5010 दिनांक 26.6.2002 द्वारा बोर्ड कर्मचारियों को दिनांक 1.5.2002 से सचिवालय भत्ता में वृद्वि की गई तथा यह शर्त लगाई गई थी कि बढ़ा हुआ सचिवालय भत्ता प्राप्त कर रहे लिपिक, कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक व अधीक्षक ग्रेड–II को दो वर्ष के भीतर–2 कम्पयूटर टैस्ट जो सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है उतीर्ण करना होगा अन्यथा बढ़ी हुई दर से दिया जा रहा सचिवालय भत्ता दो वर्ष की अवधि उपरान्त बंद कर दिया जाऐगा परन्तु किन–2 कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा उपरोक्त कम्पयूटर टैस्ट उतीर्ण कर लिया गया था सेवा पंजिकाओं में इसका कोई उल्लेख नहीं है।

इस सन्दर्भ में यह मामला सचिव, स्कूल शिक्षा बोर्ड के ध्यानार्थ ऑडिट अधियाचना संख्याः 417 दिनांक 2.6.2012 द्वारा लाया गया था कि यदि बढ़ी हुई दर से सचिवालय भत्ता प्राप्त कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा निर्धारित अवधि में टैस्ट पास कर लिया है तो उसकी प्रविष्टि उनकी सेवा पंजिका में दर्ज की जाए या इस सन्दर्भ में कोई छूट सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई हो तो लेखा परीक्षा को बताई जाए अन्यथा बिना कम्पयूटर टैस्ट पास किए कर्मचारियों/अधिकारियों से दिनांक 1.5.2004 से बढ़ी हुई दर से सचिवालय भत्ता की, की गई अदायगी की वसूली की जाए। परन्तु आज दिन तक उपरोक्त पर की गई कार्रवाई से ऑडिट को अवगत नहीं करवाया गया है।

अतः बोर्ड प्रशासन से पुनः अनुरोध है कि दिनांक 1.5.2004 के बाद सभी कर्मचारियों जिन्होंने कम्पयूटर टैस्ट उतीर्ण नहीं किया है तथा बढ़ा हुआ सचिवालय भत्ता ले रहे थे की बसूली अविलम्ब की जाए व अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाए।

22. बोर्ड कर्मचारियों को सचिवालय वेतन का अनियमित भुगतान किए जाने बारे :–

सचिवालय भत्ता का सचिवालय वेतन में संशोधन बोर्ड अधिसूचना संख्याः एच0बी0(1) संस्थापन सा0फा0–12 (खण्ड–23) 2012–6589–6678 दिनांक 17.5.2012 अनुसार किया गया

था इससे सम्बन्धित सचिवालय वेतन का भुगतान बोर्ड कर्मचारियों/अधिकारियों को उपरोक्त अधिसूचना के सन्दर्भ में अनुमोदन हेतु लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया था जिसे आडिट ने इस आपत्ति से वापिस लौटाया था कि बोर्ड की सर्विस कमेटी ने हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः (पीआर) बी(7)–1/2009 दिनांक 26.8.2009 जो वेतन संशोधन से सम्बन्धित थी को अनुमोदन दिया था व इस सन्दर्भ में आगामी संशोधन की अनुमति दी थी जिसे शिक्षा विभाग ने अपने पत्र क्रमांक शिक्षा–II–का (41–3) 2009 दिनांक 15.9.2009 द्वारा बोर्ड कार्यालय को सूचित किया था। जबकि सचिवालय भत्ता को सचिवालय वेतन में संशोधन अलग अधिसूचना के अन्तर्गत हुआ है तो सचिवालय वेतन बोर्ड कर्मचारियों को दिए जाने की अनुमति अलग से सर्विस कमेटी से ली जाए। इसके अतिरिक्त सहायक सचिव को बोर्ड द्वारा अधिसूचित सचिवालय वेतन ₹2500/– प्रतिमाह की स्वीकृति भी सर्विस कमेटी से ली जाए क्योंकि सहायक सचिव के पद का विवरण हिमाचल प्रदेश सरकार की उपरोक्त अधिसूचना में नहीं है। उपरोक्त के अलावा निम्नलिखित कर्मचारी जो दिनांक 6.11.1989 के बाद नये काडर में नियुक्त हुए और नये काडर से पदोन्नत हुए हैं इन्हें दिए जाने वाले सचिवालय वेतन का अनुमोदन भी सर्विस कमेटी से लिया जाए।

क्रमांक	नाम	पद जिसमें नियुक्ति की गई	नियुक्ति तिथि
1.	श्री गिरधारी लाल कश्यप	स्हायक संपादक	1.9.1995
2.	श्रीमती इन्दिरा देवी	जूनियर स्केल स्टैनोग्राफर	9.5.2001
3.	रविन्द्र खनका	लिपिक	16.3.2001
4.	श्रीमती सुषमा	लिपिक	6.6.2001

उपरोक्त आपत्ति के सन्दर्भ में बोर्ड के अध्यक्ष ने सम्बन्धित संचिका की टि0 24 से 26 व 28 में सचिवालय वेतन को अस्थाई तौर से अनुमोदन करने के लिए कहा था तथा इसकी स्वीकृति बाद में सर्विस कमेटी से लेकर ऑडिट को दिखा दी जाएगी। अतः लेखा परीक्षा द्वारा आडिट अधियाचना सं0 426 दिनांक 13.6.12 द्वारा अस्थाई तौर से सचिवालय वेतन का अनुमोदन इस शर्त सहित किया था कि सर्विस कमेटी का अनुमोदन/स्पष्टीकरण शीघ्र लेखा परीक्षा को दिखाया जाए यदि सविर्स कमेटी का अनुमोदन/स्पष्टीकरण उपरोक्त बोर्ड अधिसूचना के विरूद्व आता है तो जो–2 राशि कर्मचारियों को सचिवालय वेतन जमा अन्य भत्ता के रूप में दी गई है को ब्याज सहित वसूला जाए इस सम्बन्ध में सभी कर्मचारियों से भुगतान करने से पहले वचनवद्वता ले ली जाए।

बोर्ड द्वारा यह मामला सर्विस कमेटी के समक्ष अनुमोदन हेतु रखा गया था परन्तु कमेटी ने इसे हिमाचल प्रदेश सरकार के वित विभाग को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से भेजने का परामर्श दिया था। बोर्ड के प्रशासनिक विभाग, शिक्षा, द्वारा यह मामला वित विभाग को भेजा गया था परन्तु विभाग ने यू0 ओ0 नं0 52483982/2013 दिनांक 24.4.2013 के अन्तर्गत बोर्ड कर्मचारियों को सचिवालय वेतन दिए जाने में असहमति जताई है जिसे शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार ने पत्र संख्याः शिक्षा–II जीए(10)–2/2011 दिनांक 18.5.2013 द्वारा सचिव, स्कूल शिक्षा बोर्ड को सूचित किया गया था। वित विभाग की असहमति के वावजूद सचिवालय वेतन का दिया जाना बन्द नहीं किया गया है जोकि अनियमित है यह बहुत खेद का विषय है कि सचिवालय वेतन दिए जाने की अस्वीकृति दिनांक 18.5.2013 को प्राप्त हो गई थी परन्तु बोर्ड प्रशासन एवम सचिव, जो संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है द्वारा इसे बन्द नहीं किया गया ।

अतः वित विभाग के पत्र संख्याः फिन–आईएफ(जीए)19–1/91–II दिनांक 20.1.2003 के सन्दर्भ में सचिव, हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड से अनुरोध है कि वित विभाग की असहमति उपरान्त सचिवालय वेतन का बोर्ड कर्मचारियों/अधिकारियों को दिया जाना तुरन्त बन्द किया जाए तथा जिस अवधि से सचिवालय वेतन दिया गया है उसकी वसूली करके अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

23. श्री जगदीश चन्द अधीक्षक के पैंशन व ग्रेच्युटी मामले के निर्धारण बारेः–

श्री जगदीश चन्द अधीक्षक जो दिनांक 30.04.2012 को सेवानिवृत हो गये हैं, का पैंशन व ग्रेच्यूटी निर्धारण का मामला लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत किया गया था। सेवा पंजिका की जांच कर पाया गया कि सेवा पंजिका के पृष्ठ 17 पर कार्यालय आदेश संख्याः एच0बी0(1) संस्थापन सा0 फा0–9(खण्ड–4) 2001–9561–9710 दिनांक 27.09.2001 के कार्यान्वयन पर 21. 3.2002 तक माननीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने रोक लगाई थी, आगे भी जिस पर आगामी आदेश तक प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने रोक लगाई थी जिसका विवरण कार्यालय आदेश संख्याः एच0बी0(1) संस्थापन सा0फा0 9(खण्ड–4) 2082 (पार्ट फाईल) 6289–6315 दिनांक 31.7.2002 में वर्णित है ।

उक्त मामले का निर्णय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 29.4.2011 को किया गया जिसकी प्रति सचिव, स्कूल शिक्षा बोर्ड को प्रधान सचिव, (वित्त) द्वारा पत्र संख्याः आई.एफ. (सी)ए(4)5/03 दिनांक 22.6.2011 द्वारा भेजी गई थी जिसमें अनुरोध किया गया था कि विभाग

(बोर्ड) इस पर अपने स्तर पर कार्रवाई करे। उक्त मामला सचिव, स्कूल शिक्षा बोर्ड के ध्यानार्थ ऑडिट अधियाचना संख्याः 366 दिनांक 20.04.2012 द्वारा लाया गया था कि उक्त न्यायालय के निर्णय के परिपेक्ष में की गई कार्रवाई से लेखा परीक्षा को शीघ्र अवगत करवाया जाए यद्यपि पैंशन/ग्रेच्युटी का मामला अस्थाई तौर से अनुमोदित कर दिया गया था। अतः अनुरोध है कि उक्त न्यायालय के निर्णय पर बोर्ड द्वारा क्या कार्रवाई की गई है से अब लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए ताकि कर्मचारी के पैंशन/ग्रेच्युटी मामले को नियमित किया जा सके।

24. बोर्ड से सेवा निवृत कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति सुविधा ₹58326/– का अनियमित भुगतानः–

चिकित्सा प्रतिपूर्ति रजिस्टर की जांच पर पाया गया कि बोर्ड ने 93बीं बैठक जो दिनांक 7.1.2009 को हुई थी, की मद संख्याः 18(2) जिसे अधिसूचना संख्याः हि0शि0 बोर्ड0 (1) संस्थापन सा0 फा0 142/2009–10626–10715 दिनांक 18.6.2009 द्वारा अधिसूचित किया गया था, में बोर्ड से सेवा निवृत कर्मचारियों को ₹2000/– प्रतिवर्ष तक का चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का भुगतान करने का निर्णय लिया था इसमें केवल सेवा निवृत कर्मचारियों को ही यह सुविधा दिए जाने का प्रावधान किया गया था तथा सेवा निवृत कर्मचारी की पत्नी या पति को यह सुविधा दिए जाने बारे कोई विवरण नहीं था। परन्तु चिकित्सा प्रतिपूर्ति रजिस्टर की जांच पर पाया गया कि बोर्ड की आन्तरिक लेखा परीक्षा शाखा द्वारा निम्नलिखित कर्मचारियों की पत्नी या पति को भी चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का भुगतान पारित किया गया है जबकि उक्त अधिसूचना में यह प्रावधान नहीं था। अतः अनुरोध है कि अनियमित तौर से चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का भुगतान करने के फलस्वरूप इनके विरूद्व दर्शाई गई राशि ₹58326/–की बसूली की जाए ।

क0सं0	सेवा निवृत अधिकारी/कर्मचारी का नाम	अवधि /दिनांक	राशि ₹
1.	श्री धनी राम	19.8.10	471.00
2.	श्री धर्मदास शर्मा	19.8.11	337.00
3.	श्री हेम सिंह	15.5.10	818.00
		6.8.10	539.00
		29.8.11	1556.00
		9.11.10, 3.3.11	444.00

4.	श्री इन्द्र सेन	15 व 16.8.11	1343.00
		14.2.12	1359.00
		5.4.10 से 6.5.10	2474.00
5.	श्री ईश्वर दास	13,17,18 व 23.11.09	996.00
		2.1.10, 20.1.10, 29.12.10, 19.3.10, 22.1.10 व 28.1.10	1307.00
		3.9.10	91.00
		30.6.11, 9.7.11 व 9.8.11	1132.00
		19.8.11 व 9.7.11	107.00
		18.6.12 व 29.8.12	1095.00
6.	श्री पुन्नू राम	23.6.10 से 30.6.10	5459.00
		13.7.10	2000.00
7.	श्री सतीश चन्द्र ब्यास	16.6.10 व 3.7.10	740.00
		21.2.13 व 1.3.13	501.00
8.	श्री बलदेव सिंह ठाकुर	16.12.09	7155.00
		19.5.10	6590.00
9.	श्री गुलाव सिंह	28.8.09 व 8.9.09	245.00
		16.3.11 व 28.3.11	258.00
		25.4.11	282.00
10.	श्री सोहन लाल ठाकुर	26.3.10, 30.3.10 व 1.2.10	2000.00
		16.9.11, 23.9.11,21.9.11, 18.7.11, 28.7.11, 29.7.11 व 29.8.11	1349.00
11.	श्री के0एन0 शर्मा	7.1.10 व 27.3.10	2000.00

12.	श्री लेख राज	25.5.11	303.00
		10.10.11	417.00
13.	श्री भजन दास	27.5.11 से 6.6.11	8551.00
14.	श्री केवल राम शर्मा	22.5.12 से 31.5.12	1208.00
15.	श्री नरेन्द्र पाल	31.10.11 व 7.9.11	1210.00
16.	श्री अशोक कुमार शर्मा	1.11.11, 23.11.11, 20.12.11 व 30.1.12	1989.00
		26.6.12, 8.8.12, 4.9.12 व 29.9.12	2000.00
		कुल योगः–	**58326.00**

25. सरकार को पुस्तकों की विक्री, अधिकतम परचून मूल्य पर करने बारे :–

शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रति वर्ष बोर्ड से कक्षा प्रथम से दसवीं तक के विभिन्न श्रेणियों के विद्यार्थियों के लिए एमआरपी पर पुस्तकों का क्रय करके छात्रों को निशुल्क दी जाती है जबकि बोर्ड को इनको तैयार करने की लागत काफी कम वैठती है। एक तो बोर्ड अधिनियम, 1968 की धारा 14(2) के अनुपालना में अपनी वार्षिक शुद्व बचत शिक्षा विभाग हि0 प्र0 को स्कूली शिक्षा के सुधार हेतु नहीं भेजी गई तथा दूसरी ओर विक्री की गई पुस्तकें भी एमआरपी पर ही दी गई जबकि यह लागत जमा निर्धारित लाभ पर दी जानी चाहिए थी। इस सम्बन्ध में आपत्ति 2010–2011 की अंकेक्षण रिपोर्ट के पैरा सं0 23 पर पूर्व में उठाई गई है लेकिन इसके वावजूद स्थिति यथावत जारी है। इस सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा वर्ष 2012–13 में हि0 प्र0 शिक्षा विभाग को विक्री की गई पुस्तकों की सूचना अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया था लेकिन इस सम्बन्ध में कोई सूचना अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई परिणामस्वरूप लागत से अधिक चार्ज की गई राशि का आंकलन नहीं हो सका। अतः परामर्श दिया जाता है कि सरकार को विक्री की जाने वाली पुस्तकें लागत पर औचित्य पूर्ण लाभांश पर बिक्री की जाए।

26. पुस्तक विकय केन्द्र रोहड़ू के अंकेक्षण बारेः–

उक्त पुस्तक विकय केन्द्र के अंकेक्षण अवधि 4/03 से 3/2011 में सम्मिलित मुख्य–2 पैरों का विवरण निम्नलिखित है ।

(i) पुस्तकों की शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार को आपूर्ति के सन्दर्भ मेंः–

उक्त डिपो के अंकेक्षण प्रतिवेदन पैरा सं0 4 के अनुसार अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित मूल्य की पुस्तकें विक्रय केन्द्र रोहडू द्वारा शिक्षा विभाग हि0 प्र0 को प्रपत्र बिल के आधार पर आपूर्ति की गई है। अंकेक्षण के दौरान यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि इनके विरूद्व कितनी राशि शिक्षा विभाग से प्राप्त हुई तथा कितनी राशि शेष है । राशि प्राप्त करने की तिथि/ड्राफ्ट भी प्रपत्र बिल पर अंकित नहीं है यदि यह राशियां अभी तक प्राप्त नहीं हुई है तो इनकी बसूली करके अनुपालना लेखा परीक्षा शाखा में दिखाई जाए ।

क0 सं0	**प्रपत्र बिल संख्याः**	**दिनांक**	**राशि (₹)**
1.	3155	8.02.06	21975
2	3156	8.2.06	17184
3.	3157	9.2.06	36615
4.	3158	09.02.2006	128121
5.	3159	14.2.06	50751
6.	3160	14.2.06	94825
7.	3161	16.2.06	39393
8.	3162	16.2.06	121355
9.	3163	17.2.06	22426
10.	3164	17.2.06	53712
11.	3165	21.2.06	24681
12.	3166	21.2.06	75591
		कुल :–	**686629**

(ii) स्टॉक रजिस्टर में कम मात्रा में पाई गई पुस्तकों के मूल्य ₹17949/– की बसूली न करनाः–

सम्बन्धित पुस्तक विक्रय केन्द्र के अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा–6 अनुसार पाया गया कि पुस्तकों के विक्रय के पश्चात जो शेष पुस्तकों की मात्रा स्टॉक रजिस्टर में दर्ज की गई है वे वास्तविक शेष मात्रा से कम है जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है तथा इनका मूल्य ₹17949/– बनता है, सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से जांच करने के पश्चात बसूल करके अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाऐ ।

क्रमांक	पुस्तक कोड	स्टाक रजि0 पृ0 संख्या	दिनांक	पुस्तकों की कम मात्रा	मूल्य
1.	303	34	4.1.11	25	775.00
2.	401	44	29.6.10	50	1000.00
3.	501	63	30.4.07	4	72.00
4.	507	87	30.4.07	10	140.00
5.	510	92	21.8.09	3	102.00
6.	810	387	19.2.04	10	210.00
7.	703	136	17.2.09	80	2400.00
8.	901	2	17.6.05	100	2700.00
9.	1014	134 / 143	10.3.10	30	1500.00
10	916	227	26.3.10	45	3600.00
11.	917	229	9.3.10	50	4000.00
12.	951	237	9.3.10	9	405.00
13.	905	189	8.9.10	3	225.00
14.	1113	270	21.8.10	2	70.00
15.	1116	276	21.8.10	10	400.00
16.	1202	53	24.7.08	15	300.00
17.	301	126	17.3.05	2	50.00
				कुल राशिः–	**₹17949.00**

(iii) वास्तविक सत्यापन समिति द्वारा स्टॉक रजिस्टर में कम पाई गई पुस्तकों के सन्दर्भ में:–

स्टॉक रजिस्टरों की जांच के दौरान पाया गया कि समय समय पर वास्तविक सत्यापन समिति (Physically Verification Committee) के द्वारा केन्द्र के पुस्तकों के स्टॉक का निरीक्षण करके वास्तविक स्टॉक में पाई गई पुस्तकों का सत्यापन किया गया है तथा जिन विषयों की पुस्तकें वास्तविक सत्यापन में कम पाई गई उतनी पुस्तकों की मात्रा का स्टॉक में से कम करके, वास्तविक मात्रा को रजिस्टरों में दर्ज कर दिया गया है । परन्तु जितनी पुस्तकों की मात्रा कम पाई गई उनकी कीमत की बसूली कर ली गई है या नहीं, के सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये व न ही बसूली के सम्बन्ध में स्टॉक रजिस्टर में

कोई टिप्पणी दर्ज है। अतः वास्तविक सत्यापन में जितनी पुस्तकों की मात्रा कम पाई गई है उनकी बसूली की गई है या नहीं, की जांच करके अनुपालना से लेखा परीक्षा शाखा को अवगत करवाया जाये। पुस्तकों की कम मात्रा व मूल्य का विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैः–

Sr. No.	Book Code	Page No. of Stock Register	Date	Less/Short Quantity	Value
1.	607	47	19.4.10	25	750.00
2.	614	116	20.3.10	20	600.00
3.	702	130	19.4.10	50	1500.00
4.	710	186	9.6.11	1	30.00
5.	803	227	19.4.10	20	600.00
6.	805	241	19.4.10	25	750.00
7.	806	248	19.4.10	40	1200.00
8.	904	23	01.03.05	5	85.00
9.	913	8	28.11.10	11	385.00
10.	1015	137	28.4.10	14	490.00
11.	919	218	28.4.10	26	1040.00
12.	906	192	28.4.10	35	2975.00
13.	907	195	28.4.10	107	8025.00
14.	909	201	28.4.10	50	2500.00
15.	1104	253	16.6.10	47	1175.00
16.	1105	255	17.6.10	135	2700.00
17.	1108	260	17.5.10	2	170.00
18.	1117	279	26.5.10	51	4335.00
19.	1001	4	28.4.10	14	560.00
20.	1005	12	11.8.10	6	600.00
21.	1018	25	8.9.10	15	1500.00
22.	1022	33	4.2.10	3	135.00
				कुल राशिः–	**₹32105.00**

(iv) स्टॉक रजिस्टरों में दर्शाई गई शेष पुस्तकों को बेचने के सन्दर्भ में :–

स्टॉक रजिस्टरों की जांच के समय पाया गया कि निम्नलिखित विषयों की शेष पुस्तकें जो स्टॉक रजिस्टर में दर्ज थी, को बेच दिया गया दर्शाया गया है, परन्तु कार्यालय आदेश, पुस्तकें कितने में बेची गई, सम्बन्धित कैश मैमों तथा प्राप्त राशि का ब्यौरा स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है, जिस कारण पुस्तकों के विक्रय सम्बन्धित जांच सम्भव नहीं हो सकी। अतः पुस्तकों के विक्रय की जांच करके समस्त अभिलेखों सहित लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

Sr. No.	Book Code	Page of stock Register	Date	Quantity of Books shown as sold
1.	901	5	17.11.06	60
2.	902	11	26.10.04	4
3.	904	23	22.6.04	200
4.	905	29	25.5.04	365
5.	906	35	17.11.06	397
6.	907	41	17.11.06	352
7.	908	56	11.5.06	7
8.	903	57	17.11.06	150
9.	909	86	4.7.06	22
10.	931	155	17.11.06	44
11.	1001	238	12.1.06	80
12.	1002	167	12.1.06	50
13.	1003	212	12.1.06	135
14.	1004	244	12.1.06	25
15.	1006	191	12.1.06	93
16.	1007	197	12.1.06	120
17.	1008	204	12.1.06	370
18.	1009	236	13.1.05	150

19.	1005	232	24.9.05	119
20.	1104	261	17.11.06	90
21.	1201	273	17.11.06	142
22.	1203	284	17.11.06	60
23.	1204	290	12.1.06	205
24.	901	3	18.4.06	767
25.	902	10	1.9.06	642
26.	903	19	1.9.06	147
27.	904	27	24.4.06	497
28.	905	35	1.9.06	527
29.	906	43	1.9.06	502
30.	406	293	1.3.05	713
31.	407	309	103095	625
32.	601	8	9.9.04	650
33.	602	19	25.3.04	428
34.	603	31	25.3.04	365
35.	604	44	25.3.04	905
36.	609	103	22.3.04	898
37.	701	157	13.4.05	147
38.	702	169	14.10.05	202
39.	703	180	4.10.05	250
40.	707	228	16.3.05	599
41.	710	265	24.3.05	308
42.	811	289	17.3.05	815
43.	802	300	5.3.05	305
44.	803	311	5.3.05	592
45.	805	333	2.3.04	455
46.	809	337	24.3.05	159
47.	810	388	13.4.05	668

48.	812	411	8.5.06	603
49.	602	10	8.5.06	568
50.	603	16	8.5.06	424
51.	604	23	8.5.06	329
52.	609	58	8.5.06	484
53.	612	81	8.5.06	714
54.	402	231	12.4.04	700
55.	405	280	12.4.04	411
56.	304	168	27.7.03	1120
57	102	19	4.9.01	2818
58.	102	21	17.11.04	1307
59	301	123	1.10.03	2302
60.	303	152	21.11.03	784
61.	401	215	12.04.04	1516

27. ₹229864046/–लाख के अग्रिम राशियों का समायोजन न करना :–

बोर्ड कार्यालय की विभिन्न शाखाओं द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचियों के अनुसार विभिन्न विविध प्रयोजनों के लिए बोर्ड निधि में से दी गई अग्रिम राशियों में से दिनांक 31.3. 2013 तक ₹229864046/– की राशि असमायोजित है जिसका विवरण निम्नलिखित है। इनके समायोजन हेतु अतिशीघ्र पग उठाये जाऐं।

क0सं0	**अग्रिम राशि का विवरण**	**असमायोजित राशि ₹**
1.	फलाईंग स्कयेड हेतू दी गई अग्रिम राशि	479250.00
2.	यात्रा भत्ता हेतु दी गई अग्रिम राशि	22700.00
3.	बोर्ड कर्मचारियों/अधिकारियों को दी गई अग्रिम राशि (लेखा–3 शाखा)	136688.00
4.	विभिन्न मुद्रकों/फर्मों/कर्मचारियों को दी गई अग्रिम राशि (उत्पादन शाखा व सेल शाखा)	10079953.00

5.	विभिन्न फर्मों/कर्मचारियों को दी गई अग्रिम राशि (लेखा–3 शाखा)	127606850.35
6.	परीक्षा संचालन हेतु विभिन्न अध्यापकों की दी गई अग्रिम राशि (लेखा–6)	50858599.00
7.	विभिन्न परीक्षकों, उप परीक्षकों व अन्य को उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु दी गई अग्रिम राशि (लेखा–7)	40680006.00
	कुल योगः–	**₹229864046.35**

28. ₹40,67,363/– के समायोजन बारेः–

बोर्ड अधिसूचना संख्याः हि0शि0बो0 (2) सा0/बोर्ड 99 बीं बैठक/मद–11/12–1773–1872 दिनांक 25.2.2012 के अन्तर्गत वर्ष 1.1.1986 से 31.12.2004 तक विभिन्न परीक्षा केन्द्रों के केन्द्र अधीक्षकों को परीक्षा संचालन के लिए जारी अग्रिम राशि (आकस्मिक/फुटकर व्यय) ₹40,67,363/– को बोर्ड द्वारा बटट्े खाते में इस आधार से डाला गया था कि केन्द्र अधीक्षकों को सम्भावित कुल व्यय का लगभग 40 प्रतिशत बतौर अग्रिम दिया गया था इसके वावजूद परीक्षा का संचालन हुआ था तथा उनके द्वारा बकाया 60 प्रतिशत की राशि के भुगतान बिल भी प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। उपरोक्त ₹40,67,363/– की अग्रिम राशि को उपयोगिता के आधार पर समायोजित करने से सम्बन्धित फुटकर विपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया था जिसके विरूद्व ₹38,67,755/– जो विभिन्न केन्द्र अधीक्षकों को दी गई अग्रिम राशि से सम्बन्धित थे, को समायोजित कर दिया गया है । परन्तु संलग्न परिशिष्ट .एच.. अनुसार ₹1,62,512/– की अग्रिम राशि जो कि केन्द्र अधीक्षकों के अतिरिक्त अन्य अधिकारियों व बोर्ड कर्मचारियों/अधिकारियों को विभिन्न उदेश्य हेतू दी गई है का समायोजन इसलिए नहीं किया गया कि बोर्ड की उपरोक्त अधिसूचना अनुसार केवल केन्द्र अधीक्षकों को दी गई अग्रिम राशि को बटट्े खाते में डालने का निर्णय लिया गया था ।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित कर्मचारियों/अधिकारियों को दी गई अग्रिम राशि के समायोजन हेतू प्रभावी कदम उठाए जाएं तथा तदानुसार अग्रिमों के समायोजन हेतू प्रस्तुत किए जाऐं।

29. ₹37,00,000/– की राशि बोर्ड के सामान्य निधि से उपदान निधि (Gratuity Fund) को स्थानान्तरित करने बारे :–

₹3700000/– की राशि का बिल लेखा परीक्षा में बोर्ड की सामान्य निधि से उपदान निधि में स्थान्तरण हेतु प्रस्तुत किया गया था। अधिसूचना संख्याः हि0शि0बो0(2) सा0 बोर्ड/100बी0 बैठक/मद 22(3)/12–6841–6930 दिनांक 23.07.2012 अनुसार हि0 प्र0 सरकार की पूर्व अनुमति इस सम्बन्ध में ली जानी थी। सम्बन्धित संचिका की टि0 91 अनुसार सरकार की पूर्व अनुमति का मामला सरकार के विचाराधीन बताया गया था तथा उपरोक्त संचिका की टिप्पणी को मध्यनजर रखते हुए उक्त राशि का स्थानान्तरण बिल अस्थाई तौर से लेखा परीक्षा द्वारा अधियाचना संख्याः 577 दिनांक 27.4.2012 के अन्तर्गत इस शर्त सहित स्वीकार किया गया था कि इस सम्बन्ध में सरकार की अनुमति शीघ्र ली जाए अन्यथा उक्त राशि को बोर्ड की सामान्य निधि को वापिस लौटाया जाए। उपरोक्त सरकार की अनुमति आज दिन तक लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाई गई है न ही उक्त राशि को सामान्य निधि में लौटाने बारे ऑडिट को अवगत करवाया गया है।

अतः पुनः अनुरोध है कि वांछित स्वीकृति यदि सरकार से प्राप्त कर ली गई है तो लेखा परीक्षा शाखा को अवगत करवाया जाए अन्यथा ₹3700000/– को बोर्ड की सामान्य निधि को शीघ्र लौटाया जाए।

30. बोर्ड सदस्यों द्वारा टैक्सी/स्वयं के वाहन द्वारा यात्रा करने पर टैक्सी/कार के किराये के भुगतान बारेः–

दिनांक 19.6.12 व 20.6.12 को शैक्षणिक समिति/बोर्ड की बैठक में भाग लेने आये निम्न सदस्यों के यात्रा भत्ते दावे पूर्व अंकेक्षण हेतू प्रस्तुत किये गये। यात्रा भत्ता दावों की जांच पर पाया गया कि ये सदस्य सरकारी पद पर आसीन थे तथा नियमानुसार प्रवास पर टैक्सी/कार द्वारा यात्रा करने के पात्र नहीं थे। अतः इन्हें टैक्सी/कार का किराया देय नहीं था। बोर्ड प्रशासन ने सम्बन्धित संचिका की टिप्पणी 6 से 9 के अर्न्तगत इन प्रकरणें में टैक्सी/कार के किराये को अस्थाई तौर पर इस शर्त पर पारित करने के लिए लेखा परीक्षा को कहा गया था कि इस सम्बन्ध में सरकार से स्वीकृति/नियमितिकरण प्राप्त कर लिया जाएगा

तथा अगर सरकार द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया जाता है तो इसकी बसूली सम्बन्धित से कर ली जाएगी ।

अतः उपरोक्त परामर्श के दृष्टिगत यद्यपि सम्बन्धित यात्रा भत्ता बिल अस्थाई रूप में लेखा परीक्षा अधियाचना द्वारा पारित कर दिए गये हैं परन्तु सरकार द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया जाता है तो निम्न विवरणानुसार अनियमित/अधिक भुगतान की सम्बन्धित से बसूली सुनिश्चित की जाए।

क0सं0	**सदस्य का नाम व पदनाम**	**अवधि**	**यात्रा भत्ता बिल में अस्थाई तौर पर भुगतान की गई राशि**	**नियमानुसार यात्रा भत्ता बिल के भुगतान की राशि जो देय बनती है**	**अनियमित भुगतान**
1.	श्री रजिन्द्र सिंह ठाकुर, प्रधानाचार्य DIET सोलन	18.6.12 से 21.6.12	4109.00	1313.00	2806.00
2.	श्री सुरेन्द्र पाल शर्मा, प्रधानाचार्य, रा0व0मा0पा0 बलद्वाड़ा	18.6.12 से 21.6.12	2256.00	936.00	1320.00
3.	–यथोपरि–	17.1.12 से 19.1.12	1908.00	612.00	1296.00
				कुलयोगः–	**₹5422.00**

अतः बोर्ड प्रशासन से अनुरोध है कि उक्त सरकारी सदस्यों द्वारा टैक्सी/कार से यात्रा करने की अनुमति/नियमितिकरण यदि प्राप्त कर लिया गया है तो लेखा परीक्षा को दिखाया जाए अन्यथ उपरोक्त राशि की बसूली सुनिश्चित की जाए।

31. विविध :–

(1) हि0 प्र0 एग्रो इण्डस्ट्रीज धर्मशाला को ₹15200/– के भुगतान बारेः–

बोर्ड की गाड़ी नं0 53ए–0008 हेतु क्रय किए गए टायरों से सम्बन्धित एग्रो इण्डस्ट्रीज धर्मशाला के बिल नं0 ई0001375 दिनांक 17.8.2012 राशि ₹15200/– की जांच पर

पाया गया कि नियमानुसार न्यूनतम 18000 कि0 मी0 चलने उपरान्त ही गाड़ी के टायर बदलने का प्रावधान है जबकि उक्त गाड़ी के टायरों को 15520 कि0 मी0 ही चलने पर बदला गया है जोकि अनियमित है। ऑडिट अधियाचना सं0 41 दिनांक 12.2.2013 अनुसार बोर्ड प्रशासन के ध्यानार्थ यह मामला लाया गया था कि गाड़ी के 18000 कि0 मी0 चलने से पूर्व टायरों के बदलने के क्या कारण थे यदि पुराने टायरों की स्थिति बहुत ही खराब थी तो इसे technical authority से अनुमोदन करवाया जाए अन्यथा इसके एवज में हुई क्षतिपूर्ति का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए तथा नुकसान की भरपाई सम्बन्धित चूक कर्ता से बसूली जाए। उक्त अधियाचना के परिपेक्ष में आज दिन तक कोई भी जवाब बोर्ड प्रशासन की तरफ से प्राप्त नहीं हुआ है। अतः पुनः अनुरोध है कि उपरोक्त के सन्दर्भ में वांछित कार्रवाई अब कर ली जाए

(2) फैक्स मशीन खरीदने पर फर्म को ₹4004/– का अधिक भुगतानः–

बोर्ड द्वारा मै0 सनटैक सिस्टम से बिल नं0 1181 दिनांक 9.6.2012 के अर्न्तगत एक फैक्स मशीन, माडल अफीसियो एसपी 1200 एसएफ एकलकुटेशान के आधार पर ₹17840/– में खरीदी गई जिसका बिल भुगतान हेतु लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया था जिसकी जांच पर पाया गया कि उक्त मशीन के माडल का रेट इंटरनेट में ₹13836/–सभी टैक्स सहित दर्शाया गया था जबकि बोर्ड उक्त माडल की कीमत ₹17840/–सम्बन्धित फर्म को देने जा रहा था। उक्त बिल लेखा परीक्षा में फर्म की वित्तीय मुश्किलों न हो के आधार पर इस शर्त सहित पारित किया गया था कि बिल की राशि व इंटरनेट कीमत के अन्तर ₹4004 का अपने स्तर पर विभागीय जांच की जाए यदि कम्पनी द्वारा अधिक राशि चार्ज की गई है तो जो दर उक्त मशीन को क्रय करते समय थी उससे अधिक राशि के किए भुगतान की बसूली सम्बन्धित फर्म से की जाए। इस सम्बन्ध में आज दिन तक लेखा परीक्षा को सूचित नहीं किया गया है। अतः बोर्ड प्रशासन से पुनः अनुरोध है कि उक्त मामले की विभागीय स्तर पर जांच की जाए व वांछित कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

(3) जे0बी0टी0 (टी0 ई0 टी0) विवरण पुस्तिकाओं के मुद्रण बारेः–

मै0 इम्पिरियल प्रिंटिंग प्रेस धर्मशाला के बिल क्रमांक 9852 दिनांक 16.6.2012 राशि ₹255000/– की जांच के दौरान पाया गया कि बोर्ड द्वारा 17000 प्रोस्पैक्टस जे0बी0टी0 (टी0ई0टी0) ₹15/–प्रति प्रौस्पेक्टस की दर से मुद्रित करवाये गये थे। लेखा परीक्षा ने

अधियाचना संख्याः 594 दिनांक 14.12.2012 अनुसार प्रौस्पैक्टस विक्रय से सम्बन्धित स्टाक रजिस्टर व अन्य अभिलेख मांगे थे ताकि यह पुष्टि हो सके कि कितने प्रौस्पैक्टस शेष बचे हैं। परन्तु आज दिन तक उपरोक्त अभिलेख ऑडिट को उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं।

अतः बोर्ड प्रशासन से अनुरोध है कि सम्बन्धित अभिलेख अब लेखा परीक्षा को उपलब्ध करवाए जाएें ताकि विक्रय वशेष जे0बी0टी0 प्रौस्पैक्टस की पूर्ण जांच की जा सके।

32. लघु आपत्ति विवरणिकाः–

ऑडिट अधियाचना संख्याः 397 दिनांक 21.5.12 व ऑडिट अधियाचना संख्याः 518 दिनांक 12.10.2012 द्वारा सचिव स्कूल शिक्षा बोर्ड के ध्यान में आवश्यक कार्रवाई हेतु लाई गई है ।

33. निष्कर्षः–

लेखाओं के उचित अनुरक्षण में और सुधार की आवश्यकता है। विशेषतः बैंक शेष तथा रोकड़ वही अनुसार शेषों में गत कई वर्षों से चले आ रहे अन्तर के मिलान एवं अनिर्णीत पैरों के निस्तारण हेतु विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

हस्ता/
उप नियन्त्रक (ले0प0),
निवासी अंकेक्षण योजना,
हिमाचल प्रेदश स्कूल शिक्षा बोर्ड
धर्मशाला कांगड़ा हि0प्र0

हस्ता/
निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

परिशिष्ट–"ए"

अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 15 में सन्दर्भित
दिनांक 31.3.2013 तक अनिर्णित पैरों का विवरण

क0 सं0	अंकेक्षण अवधि	अनिर्णीत पैरों का विवरण पैरा सं0 से	पैरा सं0 तक	पैरों की संख्या	कुल अनिर्णीत पैरों की संख्या
1.	9/69 से 1971 तक	9	10	2	2
		10ए(2)	–	1	1
		11	–	1	1
		13	–	1	1
		13(3)	–	1	1
		13(10)	–	1	1
		15	–	1	1
		19(ए)	–	1	1
		19(बी)	–	1	1
2.	1971–72	13	–	निर्णीत	0
		14(ए)	–	1	1
		19	–	1	1
		20	–	1	1
		21(ए)	21(सी)	3	3
		25	–	1	1
3.	1972–73	13(सी)	–	1	1
		13(डी)	–	1	1
		14	–	1	1
		16(ए)	16(सी)	3	3
		17(2)	–	1	1
		18	19	2	2

		22	—	1	1
4.	1973—74	4(ए)	—	1	1
		16(ए)	16(सी)	2	2
		16(डी)	—	1	1
		16(एफ)	—	1	1
		18(1)	18(2)	2	2
		19(ए)	—	1	1
		20	—	1	1
		21(ए)	21(डी)	4	4
		21(ई)	—	1	1
		22	28	7	7
5.	1974—75	10	11	2	2
		12	—	1	1
		14(1)	14(3)	3	3
		15	16	2	2
6.	1975—76	9	—	1	1
		12(2)	12(6)	5	5
		12(8)	12(11)	4	4
		13(2)	—	1	1
		14	—	1	1
		16	23	8	8
7.	1976—77	12—1	12—9	9	9
		13—1	13—5	5	5
		14	17	4	4
		18—ए	18—बी	2	2
		19	21	3	3
8.	1977—78	4	—	1	1
		12—ए	12—बी	2	2

		12–डी	12–के	8	8
		13	14	2	2
		15–ए	15–एफ	6	6
		18	–	1	1
		20	21	2	2
9.	1978–79	4	–	1	1
		6	8	3	3
		12–सी	–	1	1
		12–एफ	–	1	1
		13–ए	13–एस	19	19
		14	21	8	8
		22–2	22–4	3	3
		23	–	1	1
		24–1	24–4	4	4
		25	–	1	1
		29	36	8	8
		37–ए	37–बी	2	2
		37–डी	37–एफ	3	3
		38	46	9	9
10.	1979–80	7	8	2	2
		12–बी	–	1	1
		13–ए	13–बी	2	2
		13–डी	13–ई(2)	3	3
		13–एफ	13–एच	3	3
		13–जे	–	1	1
		14	–	1	1
		17	21	5	5
		23	–	1	1

		23–बी	23–सी	2	2
		24	30	7	7
		32	–	1	1
		34	37	4	4
		40–ए	40–सी	3	3
		41	46	6	6
		47–ए	47–बी	2	2
		48	52	5	5
		54	55	2	2
11.	1980–81	8	–	1	1
		12 बी	–	1	1
		14	–	1	1
		16	–	1	1
		18	–	1	1
		20	–	1	1
		25	–	1	1
12.	1981–82	7	8	2	2
		12–बी	–	1	1
		16	–	1	1
		20	22	3	3
		25	–	1	1
		28	–	1	1
		34	–	1	1
		41	–	1	1
13.	1982–83	7बी	–	1	1
		8	–	1	1
		12–बी	–	1	1
		13	–	1	1

		14—ए	14—बी	2	2
		15	—	1	1
		17	—	1	1
		23—बी	—	1	1
		23—डी	23—ई	2	2
		25—ए	—	1	1
		32	—	1	1
14.	1983—84	7	—	1	1
		10	—	1	1
		17	—	1	1
		19	22	4	4
		26	—	1	1
	इन्सपैक्शन नोटः— परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा हि0 प्र0 शिमला दिनांक 22.5.1985 द्वारा निम्नलिखित पैरे अनिर्णीत हैं।				
		1	6	6	6
15.	1984—85	7—ए	7—बी	2	2
		7—ई	7—एफ	2	2
		7—एल	—	1	1
		11	—	1	1
		14	—	1	1
		15—बी	—	1	1
		16	—	1	1
		19—बी	19—सी	2	2
		20	—	1	1
		20—ए	20—एच	8	8
		21	23	3	3
		24—ए	—	1	1
		25—ए	25—एच	8	8

		26	28	3	3
		30–ई	–	1	1
		31–ए	31–सी	3	3
		32	–	1	1
		33–ए	33–एफ	6	6
		34–ए	34–ई	5	5
		35	36	2	2
16.	1985–86	14	15	2	2
		18–ए	18–जे	10	10
		19	21	3	3
		22–ए	22–बी	2	2
		22–डी	22–ई	2	2
		23–ए	23–बी	2	2
		25–बी	25–सी	2	2
		26–ए	–	1	1
		26–सी	–	1	1
		27	–	1	1
		28–ए	28–बी	2	2
		29–बी	29–सी	2	2
		30	31	2	2
		33–बी से	33–ई	4	4
17.	1986–87	4–सी	4–एफ	4	4
		8	9	2	2
		10–ए	10–बी	2	2
		11–ए	–	1	1
		11–सी	–	1	1
		12	13	2	2
		14–डी	–	1	1

		14–ओ से	14–आर	4	4
		14–डब्ल्यू	–	1	1
		15–ए	–	1	1
		15–डी	15–एफ	3	3
		15–एच	–	1	1
		15–एल	15–पी	5	5
		18–ए	18–बी	2	2
		19–ए	19–बी	2	2
		20	21	2	2
		22–ए–2	–	1	1
		22–बी–2	–	1	1
		22–सी	22–डी	2	2
		24–ए	24–जी	7	7
		24–जे	–	1	1
		25	26	2	2
		28	–	1	1
		29–ए	29–ई	5	5
		30	–	1	1
18.	1987–88	4–ए	4–एफ	6	6
		9	10	2	2
		11डी	–	1	1
		13–ए	13–डी	4	4
		18	–	1	1
		23–ए	–	1	1
		23–ई	23–जी	3	3
20.	1988–89	4–ए से डी	4–एफ	5	5
		8	9	2	2
		12	–	1	1

		14–ए	–	निर्णीत ।	0
		14–बी	–	1	1
		14–डी	–	1	1
		14–एफ,एम,ओ	–	निर्णीत ।	0
		14–जी से	14–एल व एन	7	7
		17	–	1	1
		19–ए	19–बी	2	2
		22–ए	–	1	1
		22–बी–2	–	1	1
		22–सी	22–डी	2	2
		22एफ	–	1	1
		22–एच	22–आई	2	2
20.	1989–90	4–बी	4–डी	3	3
		9	10	2	2
		12–ए	12–जी	7	7
		13	–	1	1
		14–डी	–	1	1
		15	16	2	2
		18	19	2	2
		21	–	1	1
		22–4	22–6	3	3
		24	–	1	1
		28	–	1	1
		29–2	–	1	1
21.	1990–91	4–बी	4–डी	3	3
		8	–	1	1
		10	–	1	1
		11बी	–	1	1

		12–1	12–6	6	6
		13	14	2	2
		15–ए	15–सी	3	3
		16	19	4	4
22.	1991–92	4–ए	4–जे	10	10
		7	8	2	2
		10–ए	10–एफ	6	6
		12–क	–	1	1
		12–ख–1	12–ख–7	7	7
		12–बी–1–1	12–बी–1–4	4	4
		12–बी–2–1	12–बी–2–4	4	4
		13–ख	–	निर्णीत ।	0
		16	–	1	1
		17–क	–	1	1
		17–ख	–	1	1
		18	21	4	4
		25	28	4	4
		29–क	29–ख	2	2
		30	32	3	3
		33–क	33–झ	9	9
		33–ट	–	1	1
		33–ठ	–	1	1
23.	1992–93	4–ए–1 से ए –5)	बी से आई	13	13
		7	9	3	3
		10–ए	–	1	1
		10–बी	10–सी	2	2
		12	–	1	1
		13–क	–	1	1

		13–घ	–	1	1
		13–ड.	–	निर्णीत ।	0
		13–च	–	1	1
		13–छ	–	निर्णीत	0
		14–क	–	1	1
		17	18	2	2
		19 क	19 ग	3	3
		20	21	2	2
		22–क	22–घ	4	4
		23–क	23–ख	2	2
		24–क	24–छ	7	7
24.	1993–94	4–ए	4–एफ	6	6
		4–अ	4–स	3	3
		7–अ	7–ब	2	2
		9–ए	–	1	1
		9–बी	9–डी	3	3
		11	13	3	3
		14–ए	14–एफ	6	6
		15–ए	15–डी	4	4
	भाग–तीन				
		2	7	6	6
		8–क	–	1	1
		8–ख–1	8–ख–2	2	2
		8–ग	8–घ	2	2
		9	14	6	6
		15–क	15–ग	3	3
		16	17	2	2
		18–क	18–घ	4	4

25.	1994–95	4–ए	4–एफ	6	6
		7–अ	7–ब	2	2
		9–ए	9–ई	5	5
		9–जी	9–एच	2	2
		10–2–बी	–	1	1
		10–6	–	1	1
		10–12	–	1	1
		10–12–ए–1	–	1	1
		10–12–ए–2	–	1	1
		10–13–1	10–13–3	3	3
		11 से	13	3	3
		14–क	14–ख	2	2
		15	16	2	2
		17–ए	17–डी	4	4
		18	–	1	1
26.	1995–96	4–ए–1	–	1	1
		4–बी	4–एफ	5	5
		7	–	1	1
		8–1	8–2	2	2
		8–बी–1	8–बी–3	3	3
		9–1	–	निर्णीत	0
		9–2	–	1	1
		10–1	10–4	4	4
		11	–	1	1
		12–1	12–2	2	2
		14	15	2	2
		16–1	16–3	3	3
27.	1996–97	6–ख	6–ग	2	2

		9	—	1	1
		10—1	10—4	4	4
		11—ए—1	11—ए—9	9	9
		12—ए	—	1	1
		12—ए—2	—	1	1
		12—बी	—	1	1
		13—क	13—ख	2	2
		13—ग	—	निर्णीत	0
		15	—	1	1
		17—क	—	1	1
		18	—	1	1
		20	—	1	1
		21—1	21—2	2	2
28.	1997—98	3—ए—1	3—ए—3	3	3
		3—बी	—	1	1
		3—बी—ख	—	1	1
		3—सी	3—डी	2	2
		5—ए	5—जे	10	10
		6—क	6—ख	2	2
		7	—	1	1
		9	—	1	1
		10—क	—	1	1
		11—क	—	निर्णीत	0
		11—ख	—	1	1
		12	13	2	2
		17—1	17—5	5	5
		18	—	1	1
		20	23	4	4

		25	–	1	1
		26–क	26–घ	4	4
		26–च	–	1	1
29.	1998–99 भाग–दो	4–ए	4–बी	2	2
		6	–	1	1
		10–क	10–ख	2	2
		11–क	11–ख	2	2
		12	–	1	1
		14–ख	14–ग	2	2
		16 व 18	–	2	2
		17	–	निर्णीत	0
		20–क	–	1	1
		21	–	1	1
		22–1	22–2	2	2
		22–4	–	1	1
		22–6	–	1	1
		15	–	1	1
30.	1999–2000 भाग–एक	2–4	–	1	1
		2–ख	2ङ.	4	4
		2–छ–2	–	1	1
		4–क	–	1	1
		4–ख–1	4–ख–2	2	2
		5	–	1	1
	भाग–दो	3–2	3–3	2	2
		4	–	1	1
		7–1	7–2	2	2
		7–ख–1	7–ख–3	3	3
		8	9 व 11	3	3

		10	–	निर्णीत	0
		13–क	13–ख	2	2
		14	15	2	2
		16–क	16–ख	2	2
		17–ख	–	1	1
		18	19	2	2
		20–क	20–ग	3	3
		21	–	1	1
		23	25	3	3
		27	31	5	5
31.	2000–01 भाग–एक	2	–	1	1
		6	7	2	2
	भाग–दो	4–2	–	1	1
		5–1	5–22	22	22
		7	–	1	1
		9	10	2	2
		11–1	11–3	3	3
		12–1	12–2	2	2
		16	18	3	3
		19–क	19–ख	2	2
		20	–	निर्णीत	0
		21	22	2	2
	भाग–तीन	2	6	5	5
32.	2001–02 भाग–दो	6	8	3	3
		15	–	1	1
		17	19	3	3
		24	–	1	1
	भाग–तीन	2	8	7	7

		10	11	2	2
33.	2002–03 भाग–एक	2	–	1	1
		7	–	1	1
	भाग–दो	6	7	2	2
		8–क	8–ख	2	2
		9	10	2	2
		12	13	2	2
		15–क	15–ज	8	8
		16	17	2	2
		19	21	3	3
		23	26	4	4
		27–क	–	1	1
		28	31	4	4
		34	–	1	1
	भाग–तीन	2	6	5	5
		7–क	–	1	1
		7–ग	7–घ	2	2
		8	–	1	1
	भाग–चार	2–क	–	1	1
		3	–	1	1
34.	2003–04 भाग–एक	2	–	1	1
		6–क	–	1	1
		7–क	–	1	1
	भाग–दो	4	–	1	1
		6–क	6–ग	3	3
		7	9	3	3
		11	16	6	6
		18	20	3	3

		22–2	–	1	1
		24	29	6	6
		31–क	–	1	1
		31–घ	–	1	1
		32–क	32–ङ.	5	5
	भाग–तीन	3	7	5	5
	भाग–चार	2–क	2–छ	7	7
		3–क	3–च	6	6
35.	2004–05 भाग–एक	2	–	1	1
		6	–	1	1
		7–क–1	–	1	1
		7–क–3	–	1	1
		7–ख–3	–	1	1
	भाग–दो	1	–	1	1
		4	–	1	1
		6	7	2	2
		9	11	3	3
		13	22	10	10
		24	26	3	3
		28	–	1	1
		33	–	1	1
		35	–	1	1
		36	37	2	2
		39	42	4	4
	भाग–तीन	2	–	1	1
		4	–	1	1
36.	2005–06 भाग–एक	2	–	1	1
		6	–	1	1

		7–क–1	–	1	1
		7–क–3	–	1	1
		7–ख–3	–	1	1
	भाग–दो	4	–	1	1
		6	8	3	3
		10	12	3	3
	भाग–तीन	1	2	2	2
		3–1	–	1	1
		3–3	3–5	3	3
		4–1	4–2	4	4
		5	6	2	2
		7–1	7–4	4	4
		7–5–क	7–5 ख	1	1
		8	–	1	1
		9–1–क	9–1–ड.	5	5
	भाग–चार	2	3	2	2
37.	2006–07 भाग–एक	2–ग	–	1	1
		7–क–1	–	1	1
		7–क–3	–	1	1
		7–ख–3	–	1	1
	भाग–दो	1	–	1	1
		4	–	1	1
		5	–	निर्णीत	0
		7	9	3	3
		13	–	1	1
		14–1–1	14–1–5	5	5
		14–2	–	1	1
		14–3–1	–	1	1

		14–4	–	1	1
		14–9	–	1	1
	भाग–3	2–क	2–ग	3	3
		2–च	–	1	1
		2–झ	–	1	1
		3–ग	3–ड.	3	3
38.	2007–08 भाग–दो	2(iii)	2(iv)	2	2
		6(i)	6(ii)	2	2
		7(1)(i)	-	1	1
		8(4)	-	1	1
		15	-	Settled	0
		16	19	4	4
		20(1)	20(2)	2	2
		21	24	4	4
		25(1)	25(5)	5	5
	भाग–तीन	2(1)	-	1	1
		2(1)(ii)	2(1)(iv)	3	3
		3(3)	3(4)	2	2
39.	2008–09	2(iii)(v)	2(iii)(vi)	2	2
		6(ii)	-	1	1
		7(1)(i)	-	1	1
		7(1)(iv)	-	1	1
		7(1)(vi)	-	1	1
		7(1)(vii)	-	1	1
		8(4)	-	1	1
		14	16 to17	3	3
		15	-	Settled	0

		19	37	19	19
		38(i)	38(v)	5	5
		39	45	7	7
	भाग–तीन	2	7	6	6
40.	2009–10	2	-	1	1
		2(4)	2(6)	3	3
		6(i)	6(iv)	4	4
		7(i)	-	1	1
		7(iv)	-	1	1
		8(3)	-	1	1
		15	-	Settled	0
		16	-	1	1
		17(1) &	17(3)	2	2
		18(i)	18(ii)	2	2
		19,21,22 &	24	4	4
		25(i)	25(iii)	3	3
		26(i)	26(ii)	2	2
		27	30	4	4
		31(i)	-	1	1
		32	35	4	4
		35(ii)	-	1	1
		37	45	9	9
		46(i)	46(iv)	4	4
	भाग–3	1	5	5	5
		6	-	Settled	0
	भाग–4	1	12	12	12
		13(i)	13(4)	4	4

41.	2010—11	3(i)	3(ii)	2	2
		13 to 23& 25 to	41	28	28
		42- क	42- ख	2	2
		43	48	6	6
		49	-	Settled	0
		50(i)	50(v)	5	5
		51(i)(iii)	51(iv)	3	3
		51(ii)(v)	51(vi)	Settled	0
		52	-	1	1
42.	2011—12	3(i)	3(iv)	4	4
		4(ii)	-	1	1
		6(i)	6(v)	Settled	0
		13	31	19	19
		33	35	3	3

नोटः— इसके अतिरिक्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2005—06 भाग—पांच के पैरा 1(डी) में वर्णित अनिर्णीत अधियाचनाऐं लम्बे समय से अनिर्णीत हैं।